...लय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

2/79/18

तारीख रजू..........

रवि बनाम मौजी वगैरा

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..6.18	वकील प्रार्थी उपस्थित। मय प्रा० पत्र 212 RT Act वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। दर्ज पंजिका हो। प्रस्तुत प्रा० पत्र व संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को पेशी आइन्दा अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ख० नं० 988, 743, वाके ग्राम खेरली रेल तह० कठूमर की प्रतिवादी सं० 1 के दर्ज हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 7/8/18 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक लागू कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली [illegible] 7/8/18 [illegible]	2498 29.6.18

दिनांक... 5/7/26 .... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कलम्बर। अलवर

7/3/26 | पक्षकारान ....उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक...........
की पालना में पेश....... आदेश
दिनांक...12/4/26 .... को पेश हो।
जवाब पेश किया बहस सुनी गई।

खण्ड अधिकारी
कलम्बर। अलवर

12/3/26 | पक्षकारान ....उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक...........
की पालना में पेश....... आदेश
दिनांक . 6/3/26 .... को पेश हो।

खण्ड अधिकारी
कलम्बर। अलवर

6/3/26 | पक्षकारान उपस्थित प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को वापिस लेने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जावे। खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2 / 79 / 2018 दायर दिनांकः— 26 / 05 / 2018

जीसीएमएस नं0:— 2018 / 00202 निर्णय दिनांकः— 06 / 03 / 2026

वउनवान

1. रवि पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास तहसील कठूमर जिला अलवर

—————— सायल

बनाम

1. भौती पत्नी रामचन्द जाति मीना जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
3. रामकरण पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
4. रामहंस पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास
5. पुष्पेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी कुटटीनसावदास तहसील कठूमर जिला अलवर
6. तहसीलदार कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—श्री देवेन्द्रसिंह नरूका

श्री श्यामसिंह चोहान—एडबोकेटस अधिवक्ता सायलान

श्री गिरधारीलाल शर्मा—अधिवक्ता गैरसायल संख्या 3—4

—::निर्णय:: —

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 743 रकवा 0.71 हे0 988 रकवा 0.72 हे0 ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है। सायल ने प्रार्थना पत्र के पेरा सं0 3 में परिवार का सजरा पेश

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0

किया है। रामचन्द सायल का दादा भौती सायल की दादी व गैरसायल सं0 2 सायल के पिता है उपरोक्त विवादित आराजी सायल की दादी भौती की कयशुदा/पैंदा कर्दा आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। कानूनन दादा दादी की आराजी में उसके पोत्रों को जन्म से ही हक व अधिकार पैदा हो जाते है। खसरा नम्बर 988 में सायल का 7/144 हिस्सा व खसरा नम्बर 743 में सायल का 1/48 हिस्सा है शेष हिस्सा गैरसायलान का है उपरोक्त विवादित आराजी सायल की दादी भौती की पैदा कर्दा आराजी होने से पेत्रिक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। सायल अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सायल की दादी गैरसायला सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायल ने गैरसायला सं0 1 से अपने हिस्सा की आराजी अपने नाम कराने बाबत कहा तो गैरसायला सं0 1 ने इन्कार कर दिया। अतः सायल विवादित आराजी में अपने हिस्सा की आराजी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। गैरसायलान आपस में सायल के खिलाफ मिले हुये है जो विवादित आराजी को गैरसायल सं0 6 से मिलकर अपने नाम कराना चाहते है जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पावन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है लेकिन विवादित आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से सायल के अधिकारों पर विपरीत असर पड रहा है तथा गैरसायलान सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा रहन वय करना चाहते है। अतः अधिवक्ता सायल ने गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पावन्द कराने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया है व कथन किया कि विवादित आराजी गैरसायला सं0 1 की स्वअर्जित है। सायल ने आवश्यक पक्षों को मुकदमा में पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित आराजी में सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। सायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार जन्म से ही नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, जवाव दर0 सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। गैरसायलान ने यह सावित नहीं किया है कि विवादित आराजी गैरसायला सं0 1 की स्वअर्जित है। विवादित आराजी पैत्रिक है या स्वअर्जित तथा विवादित आराजी पर सायल का गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज आराजी में हिस्सा वनता है या नहीं व कब्जा के बारे में तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जायेगे हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी गैरसायला सं0 1 भौती की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायला भौती के वारिसान के नाम अभी विरासत इन्तकाल भी खुलना है यदि गैरसायलान को पावन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है। प्रकरण एक ही परिवार के लोगो से सम्बन्धित है। जिससे प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलनः**—यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में सायल के हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में सावित होता है।

3. **ना–पूर्ति होने वाली क्षतिः–** यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी में मृतक भौती के वारिसान के नाम इन्तकाल खुले विना व अधिकारों का तय हुये विना विरासत इन्तकाल अपने नाम स्वीकार करा लिया तो पक्षकारान के मध्य वाद वहुलता बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इससे अपार हानि सायल के पक्ष में होना संभव है। गैरसायलान को किसी तरह की क्षति होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।

उपरोक्त तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–:आदेशः–

अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सांवित है। विवाद एक ही परिवार के सम्वन्धित है। जिस कारण विवादित आराजी का मूल वाद के निस्तारण तक मूल स्वरूप बनाये रखा जाना जरूरी प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार कर गैरसायलान को पावन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 743, 988 वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर की मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 26.06.2018 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 06.03.2026 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०